


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या- (526/02) 1993/2005.....जिला.....बून्दी.....

उनवान- परवेज पुत्र शोक्त अली, बून्दी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2016	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री ईश्वरी लाल वर्मा-सदस्य</p> <p>प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री जे.के.पारीक व वी.के. पारीक एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी जरिये अभिभाषक की ओर से विद्वान करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2016 प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 के अनुसार राशि जमा कराने की शर्त पर निगरानी को विद्वान किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उक्त अधिसूचना के अनुसार राशि जमा कराने की शर्त पर निगरानी को विद्वान किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या (526/02) 1993/2005/बून्दी भरतपुर जरिये (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">               (ईश्वरी लाल वर्मा)              सदस्य         </p>	